## <u>न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला –बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.कमांक—613 / 2012</u> संस्थित दिनांक—28.07.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आबकारी वृत्त बैहर 🤔 👚 — — — — 🧸 **अभियोजन** 

### विरुद्ध

प्रेमबती बाई पिता महरू, उम्र 50 वर्ष, निवासी कुम्हारी मोहल्ला, बैहर थाना बैहर जिला—बालाघाट(म.प्र.)

— अभियुक्त

## <u>निर्णय</u>

# <u>(आज दिनांक 07.10.2014 को घोषित )</u>

### <u>निष्कर्ष</u>

अभियुक्त के विरूध्द आरोपित अपराध हेतु पूर्व दोषसिध्दि का प्रमाण नहीं है। अभियुक्त की स्वेच्छया एवं स्पष्ट अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे धारा 34(1) म.प्र. आबकारी अधि. के आरोप में दोषसिद्ध टहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्त को परीविक्षा प्रावधान का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

# दण्डादेष या अन्य अंतिम आदेष

दंड के प्रष्न पर विचार किया गया। अपराध की प्रकृति, प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्त को प्रमाणित अपराध के लिए धारा 34(1) म.प्र. आबकारी अधि. के आरोप में दोषसिध्दि पर न्यायालय अवधि अवसान तक कारावास एवं 500 / — रूपये (शब्दों में पांच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता हैं। अर्थदंड अदायगी में व्यतिकृम पर अभियुक्त को 15 दिन का साधारण कारावास भुगताया जावे।

जप्तषुदा शराब विधिवत तत्काल नष्ट की जावे।

बैहर दिनांक—07.10.2014 (सिराज अली) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, जिला–बालाघाट